उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 58/एन0बी0/एस0बी0/2022

डा0 ललित कुमार सिंह (पुरूष) उम्र लगभग 33 वर्ष, पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी गंगेस सी–103 ओमाक्स रिवेरा, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर।

.....याची

बनाम

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सचिव श्रम, सिविल सचिवालय, 4–सुभाष मार्ग, देहरादून, जिला–देहरादून।
2. सचिव, वित्त, सिविल सचिवालय,–4–सुभाष मार्ग, देहरादून, जिला देहरादून।
3. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा संवाएं, 22 सर्वे रोड, देहरादून, जिला–देहरादून।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, 22 सर्वे रोड, देहरादून, जिला–देहरादून।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितिः श्री पियूष तिवारी, श्री संदीप तिवारी, श्री गिरीश चन्द्र जोशी व मोनिका उप्रेती, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

दिनांकः अप्रैल 21, 2023

प्रस्तुत याचिका याचीकर्ता द्वारा निम्न अनुतोष हेतु प्रस्तुत की गयी है–

1. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2022 जो कि इस दावा याचिका के अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है को रद्द (Quashed) किया जाय।

2. प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा पारित शासनादेश दिनांक 16.12.2010 जो कि इस दावा याचिका के अनुलग्नक–2 के के रूप में संलग्न है को जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है के संदर्भ में रद्द (Quashed) किया जाय।

3. राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टरों के समान याचिकर्ता को दिनांक 01.02.2019 से 28.09.2020 तक के (माह अप्रैल 2019 से मई 2019 को छोड़कर) एन0पी0ए एरियर्स देने हेतु प्रतिवादियों को निर्देशित करते हुए ऐसा आदेश या निर्देश जारी करे।

4. प्रतिवादियों को निर्देशित करते हुए ऐसा आदेश या निर्देश जारी करें कि दिनांक 01.02.2019 से 28.09.2020 की मध्यवर्ती अवधि के बकाया एन0पी0ए0 एरियर्स पर 9% प्रति वर्ष के अनुसार ब्याज दे।

5. कोई अन्य या आगे, आदेश या निर्देश जारी करें जो यह माननीय अधिकरण मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और माकूल समझे।

6. याचिकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका की लागत का फैसला करें।

2. संक्षेप में याचिकर्ता का कथन है कि याचिकर्ता श्रम मंत्रालय उत्तराखण्ड राज्य के कर्मचारी राज्य बीमा योजना विभाग में डॉक्टर है और वर्तमान में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर में कार्यरत है। प्रतिवादी सं0 1 और 2 उत्तराखण्ड राज्य के श्रम और वित विभाग के सचिव हैं, प्रतिवादी सं0 3 और 4 प्रतिवादी विभाग के निदेशालय में निदेशक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) है जो एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है व प्रतिवादी संख्या 1 के नियंत्रणधीन कार्य करता है। यह संगठन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत पंजीकृत श्रमिकों को बीमारी, मातृत, रोजगार के दौरान विकलांगता और चोट के कारण मृत्यु के मामले में बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल के लिए नकद रहित ईलाज का लाभ प्रदान करता है। कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत नयी जगहों पर इसकी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रतिवादी सं0 3 भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के नियमों और शर्तो पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए निजी चिकित्सा अधिकारियों,सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों, निजी अस्पतालो को पैनलबद्ध करने का इरादा रखता है व तदनुसार प्रतिवादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य हैं और इस तरह से माननीय अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

3. दावा याचिका संबंधित विषय पर प्रार्थी द्वारा दायर दूसरी याचिका है प्रथम दावा याचिका सं0 29/एन.बी./एस.बी./2020 को निस्तारण आदेश सं0 12.11.2021 के तहत निस्तारित किया गया, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि याचिकर्ता प्रतिवादी विभाग को एक प्रत्यावेदन आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करें व प्रतिवादी विभाग 03 माह के अन्दर इस प्रत्यावेदन का निस्तारण करें। तदनुसार याचिकर्ता द्वारा 07.12.2021 के तहत एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसे कि आदेश दिनांक 08.06.2022 के तहत निस्तारित कर दिया गया। वर्तमान याचिका उक्त आदेश को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की प्रार्थना व दिनांक 01.02.2019 से 28.09.2020 (माह अप्रैल 2019 व मई 2019 को छोडकर) जो दिया जा चुका है तक के एरियर्स को देने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

4. याचिका के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि तत्कालिक उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के डॉक्टरों (एलोपैथिक) निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध नियम 1978 को प्रख्यापित किया। ये नियम प्रांतीय चिकित्सा सेवाओं का हिस्सा होने के नाते सभी सरकारी डॉक्टरों पर लागू थे, चाहे वे राज्य के मेडिकल कॉलेजो में शिक्षक के रूप में कार्यरत हो या सरकारी अस्पताल में हों। नियम 1978 को यू0पी0 सरकारी चिकित्सक (एलोपैथिक) निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध नियम 1983 जो 01.09.2083 को लागू हुआ के द्वारा प्रस्थापित कर दिया गया। यह नियम सरकारी डॉक्टरो के निजी अभ्यास पर प्रतिबंध लगाते है। नियम 2 (ई) निजी प्रैक्टिस को परिभाषित करता है। नियम 3 सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाता है और

नियम 4 निजी प्रैक्टिस के बदले भुगतान प्रदान कर प्रावधान करता है (जिससे आम तौर पर प्रैक्टीस बंदी भत्ता कहा जाता है।(यहां से आगे एन0पी0ए कहा जायेगा) उपरोक्त नियम के 2 (ई) नियम 3 और नियम 4 निम्नलिखित है–

2 (ई) निजी अभयास का अर्थ है नकद या वस्तु के रूप में आर्थिक प्रतिफल के लिए चिकित्सा सहायता, जिसमें परामर्श देना शामिल है।

3 निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्धः किसी भी नियम या आदेश, अनुबंध या किसी अन्य साधन में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद और निमय 4 के प्रावधानों के अधीन, एक सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस का हकदार नहीं होगा।

4 निजी प्रैक्टिस के बदले भुगतान (1) निजी प्रैक्टिस के बदले एक सरकारी डॉक्टर के गैर–अभ्यास वेतन या भत्ता या दोनो के रूप में निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा जो समय–समय पर सरकार निर्दिष्ट करें। शर्त यह कि इस उप–नियम में निर्दिष्ट गैर अभ्यास वेतन या भत्ता देय नहीं होगा।

(ए) एक सरकारी डॉक्टर जो

(i) एम0बी0बी0एस0 डिग्री या बी0डी0एस या एल.एस.एम.एफ (एल.एम.पी.) निर्धारित नहीं करता, या

(ii) इंडियन मेडिकल काउंसिल इंडियन डेंटल काउंसिल द्वारा पंजीकृत होने की अर्हता नहीं है, या

(iii) भारतीय चिकित्सा परिषद भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा विवर्जित है, या

(b) (i) निदेशक और अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के पद पर है।

(i i) निदेशक और अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षाण, के पद पर है और

(iii) राज्य के मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य है।

(c) उस पद का अधिकारी है जिसके लिए एम.बी.बी.एस डिग्री या बी.डी.एस. या एल.एस. एम.एफ. (एलएमपी) योग्यता आवश्यक नहीं है।

5. दिनांक 30.08.1983 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सक (एलोपैथिक) निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध नियम, 1983 की एक अनुलग्नक–3 है। उक्त नियमों के अनुसरण में, एक शासनादेश दिनांक 27.09.1983 जारी किया गया जिसमें एनपीए की दरें निर्धारित की गयी थीं। उक्त दरों को शासनादेश दिनांक 31.08.1989 के तहत संशोधित कर दिनांक 14.08. 1988 से निम्नलिखित दर से लागू किया गया था–

क्रमांक	वेतन सीमा	एनपीए दर
1	जिनका मूल वेतन रू0 3000/– से कम है।	रू0 600/–
2	जिनका मूल वेतन रू0 3000/– से ज्यादा पर 3700/– से कम है।	रू0 800/–
3	मूल वेतन रू0 3700/– से ज्यादा है।	रू0 900/–

शासनादेश दिनांक 31.08.1989 की एक सत्य अनुलग्नक–4 है।

6. शासनादेश दिनांक 31.08.1989 के पैरा 2 में प्रावधान है कि सेवानिवृत्ति लाभ, मंहगाई भत्ता आदि सहित सभी सेवा मामलों के संबंध में एन0पी0ए0 को वेतन के हिस्से के रूप में

माना जायेगा। पैरा 3 में भी यह प्रावधान है कि एन0पी0ए हेतु वेतन सीमा को कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उक्त शासनादेश के पैरा 2 व 3 के प्रावधान निम्नवत है–

प्रैक्टिस बन्दी भत्ते को सभी सेवा संबंधी मामलों जैसे सेवा निवृत्तिक लाभ, मंहगाई भत्ता यात्रा/दैनिक भत्ता एवं अन्य भत्तों की गणना के लिए वेतन का अंग माना जायेगा। उक्त भत्ता देने के लिए वेतन सीमा का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। दिनांक 01.01.1996 से पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशो को स्वीकार करने के बाद मूल वेतनमानो को अग्रतर संशाधित किया गया। कैन्द सरकार ने पाचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 15.04.1998 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निर्णय लिया कि वेतन सीमा के आधार पर डॉक्टरों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के भुगतान की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर मूल वेतन के 25% की एक समान दर से इस शर्त के साथ दिया जाय कि प्रैक्टिस बन्दी भत्ता समान दर से इस शर्त के साथ किया जाये कि प्रैक्टिस बन्दी भत्ता 29.500/– रूपये से अधिक नहीं हो। दिनांक 15.04.1998 के कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति अनुलग्नक–5 है।

7. उत्तर प्रदेश राज्य के 13 जिलों को निकालकर 9 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य अस्तिव में आया। पूर्व राज्य उ0प्र0 से उत्तराखण्ड राज्य अलग होने के बाद भारत संध का 27वां राज्य बना। जहां तक राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन और भत्ते का संबंध है, उत्तर प्रदेश राज्य के वेतन ढांचे का पालन किया गया और उसके बाद केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिश के आधार पर वेतनमान को संशोधित किया गया। एन0पी0ए0 को केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 अगस्त, 2008 के द्वारा छठे वेतन अयोग की सिफारिश के आधार पर पुनः संशोधित किया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि डॉक्टरों को मौजूदा पे बैंड और ग्रेड पे के कुल योग का 25% दर पर प्रैक्टिस बंदी भत्ते का भुगतान इस शर्त के साथ जारी रखा जाना चाहिए कि मूल वेतन+एन0पी0ए रू0 85,000/– से अधिक न हो। (अनुलग्नक–6) छठे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य ने भी अपने डॉक्टरों को एनपी0ए प्रदान किया। तदनुसार ई0एस0आई0 विभाग ने पत्रांक दिनांक 27.11.2013 के माध्यम से अपने डॉक्टरों को 25% एनपीए इस शर्त के साथ प्रदान किया कि मूल वेतन+एनपीए 80,000/– रूपये से अधिक न हो। दिनांक 27.11.2013 की प्रति (अनुग्नक–7)।

याचिकाकर्ता चिकित्सा अधिकारी ग्रेड II के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा योजना विभाग में जो कि श्रम मंत्रालय के नियत्रंणधीन है, में दिनांक 17.03.2015 को वेतनमान रू0 15600/–39100 ग्रेड पे0 रू0 5400/– में भर्ती हुआ। उसका प्रारम्भिक वेतन 15600/– + ग्रेड पे रू0 5400/– पर निर्धारित हुआ। याचिकर्ता सरकारी सेवा में नियुक्ति के बाद से एन0पी0ए ले रहा था। सातवें वेतन अयोग की सिफारिश के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार ने भी उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 बनाये, जिसे 28.02.2016 को अधिसूचित किया

गया नियम–7(1) (बी) एन0पी0ए के साथ वेतन तय करने की विधि के बारे में बताता है, जिसके अनुसार वेतन के निर्धारण के बाद मूल वेतन में 25% एन0पी0ए0 में जोडा जाना है। मौजूदा दर पर महंगाई भत्ता भी एन0पी0ए0 पर भुगतान किया जाना है। उक्त सूत्र याचिकर्ता के वेतन लेवल के संदर्भ में उक्त नियमों में उल्लेखित किया गया है व याचिकाकर्ता के परिपेक्ष्य में यह निम्नवत है–

प्रार्थि की नियुक्ति दिनांक	17.03.2015	
वेतनमान	वेतन बैंड 3 वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन–5400/–	
दिनांक 31.12.2015 को वेतन	मूल वेतन	15.600/–
	ग्रेड वेतन	5,400/–
	कुल वेतन	21.000/–
	25: एन0पी0ए0	5,250/–
	डी0ए 125:	6563/–
वेतन निर्धारण	21000 2.57	=53,970
	डी0ए 125:	=6,563
	कुल वेतन	=60,533
सतवें वेतन अयोग के पे मैट्रीक्स के लेवल 10 में इंट्री 4 अनुसार वेतन निर्धारतण	मूल वेतन	=61,300
	संशोधन पूर्व एन0पी0ए	=5,250
	कुल	=65,550

उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारी वेतन नियमावली 2016 अनुलग्नक–8 है।

8. उपरोक्त गणना के आधार पर राज्य सरकार के विभाग सभी डॉक्टरों को एनपीए का भुगतान कर रहे थे। दिनांक 07.07.2017 को केन्द्र सरकार ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें दिनांक 30.08.2008 के कार्यालय ज्ञापन में निहित एन0पी0ए0 की मौजूदा दर में संशोधन कर संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन 20% की दर से एन0पी0ए के भुगतान करने का निर्णय लिया गया है जो कि सी0सी0एस0 (आर0पी0) नियम, 2016 में निहित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है जहां यह प्रावधान है कि मूल वेतन और एनपीए की राशि 23,500/–रूपये से अधिक नही होगी।(अनुलग्नक–9) तदनुसार उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टरों के एन0पी0ए0 के संबंध में निर्देश जारी किये गये, जिसमें राज्य के डॉक्टरों को दिनांक 01.02.2019 से 20: एनपीए के भुगतान के लिए राज्यपाल की स्वीकृति दी गई थी। आगे यह भी निर्देश दिया गया था कि यदि चिकित्सक प्रशासनिक कार्य में शामिल हैं तो वे सप्ताह में कम से कम 02 दिन क्लिनिकल कार्य भी करेगें। इसके अलावा एक और शर्त जो लगाई गई थी वह यह थी कि मूल वेतन और एन0पी0ए0 की राशि रू0 2,25,500/– से अधिक नहीं। (शासननादेश की प्रति अनुलग्नक 10 है) चूंकि एन0पी0ए0 को एक विभाग में लागू किया गया था अतः समानता के आधार पर इसे अन्य विभाग के डाक्टरों पर भी समान तिथि से लागू किया जाना था, परन्तु प्रतिवादियों द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नही की गयी उल्टा एन0पी0ए0 को फरवरी, 2019 से इस बहाने से

रोक दिया गया कि वित्त विभाग से श्रम विभाग के डाक्टरों हेतु कोई निर्देश जारी नही किये गये। याचिकर्ता ने जब विभाग के अधिकारियो से इस संबंध में पूछताछ की तो ये पता चला कि ये निर्देश चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के लिए हैं। प्रतिवादी 1,3 और 4 ने न तो प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष मामला उठाया और न ही एन0पी0ए0 के भुगतान के संबंध में कोई स्पष्टीकरण मांगा। चूंकि प्रतिवादी विभाग में बाद में यह सहमति हुई कि एन0पी0ए को बंद नही किया जा सकता, अतः माह अप्रैल और मई 2019 में यह बड़ी हुई दर से पुनः भुगतान किया गया परन्तु फिर जून 2019 से इस बहाने रोक दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। (अनुलग्नक–11) चूंकि एन0पी0ए का भुगतान विभाग द्वारा पुनः रोक दिया गया था इसलिए याचिकर्ता ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के डाक्टरों को भी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डाक्टरों के समान वेतन देने हेतु प्रत्यावेदन दिनांक 25.09.2019 के तहत प्रार्थना की (अनुलग्नक 12) चूंकि इस संदर्भ में याचीकर्ता को कोई जवाब प्राप्त नही हुआ इसलिए प्रार्थी ने इस सन्दर्भ में अनुस्मारक दिनांक 30.9.2019, 11.10.2019 और 07.11.2019 को प्रेषित किये। जो (अनुलग्नक 13) है।

9. यहां तक की नियुक्ति देते समय भी प्रतिवादी विभाग ने नियुक्ति पत्र में यह साफ उल्लेख किया है कि नियुक्त किये जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली 1983 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अतिरिक्त प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नही होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा। डा0 विशाल प्रताप सिंह जिन्हें 07.11.2019 को नियुक्ति पत्र दिया गया था में भी इस बात का उल्लेख है। (अनुलग्नक 14) जब याचिका मा0 लोक सेवा अधिकरण में लंबित थी उसी दौरान प्रतिवादी विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 29.09.2020 जारी किया गया जिसके तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के डाक्टरों को एन0पी0ए मूल वेतन पर 20% की दर से शासनादेश जारी होने की दिनांक से किया गया। जिसके कारण विभाग द्वारा दिनांक 01.02.2019 से 28.09.2020 तक का एरियर्स देने से मना कर दिया गया।(अनुलग्नक–15) जब यह मामाला माननीय लोक सेवा अधिकरण के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 12.11.2021 को आया तो माननीय अधिकरण को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि याचिकर्ता को दिनांक 29.09.2020 से एन0पी0ए0 दिया जा रहा है, परन्तु दिनांक 01.02.2019 से 28.09.2020 के एरियर्स (माह अप्रैल, 2019 से मई, 2019 को छोड़कर) नही दिये गये है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में माननीय अधिकरण द्वारा यह आदेश दिया गया कि याचिकर्ता उक्त मध्यवर्ती अवधि में एन0पी0ए देने हेतु आदेश की एक प्रमाणित प्रति के साथ प्रत्यावेदन दे व प्रतिवादी विभाग तदुपरान्त तीन माह के अन्दर एक तर्कसंगत और

सकारण आदेश पारित करें। माननीय लोक सेवा अधिकरण द्वारा दावा याचिका 29/एनबी/डीबी में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 की एक प्रति (अनुलग्नक–16) है। याचिका सं0 29/एन0बी0/डी0बी में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 के आलोक में प्रतिवादी ने एक प्रत्यावेदन दिनांक 07.12.2021 को प्रस्तुत किया, जिसमें उसके द्वारा सभी विधिक आधार पर दिनांक 01.02.2019 से 28.09.2020 (माह अप्रैल, 2019 व मई, 2019 को छोडकर) एन0पी0ए एरीयर्स को देने का अनुरोध किया गया। (अनुलग्नक–17) जब करीब 5 माह तक भी प्रतिवादियों द्वारा मा0 लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 12.11.2021 के आलोक में कोई तर्कसंगत और सकारण आदेश नही पारित किया गया तो प्रार्थी द्वारा अततः विवश हो दिनांक 10.04.2022 को निष्पादन याचिका (एक्जीक्यूशन पीटीशन) दायर करनी पड़ी। प्रतिवादियों द्वारा निष्पादन याचिका के आदेश दिनांक 18.04.2022 के लगभग डेड माह गुजर जाने के उपरान्त भी इस अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 जो कि दावा याचिका संख्या 29/एनबी/डी0बी0/2020 डा0 ललित कुमार सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अय में पारित किया गया था के आलोक में कोई आदेश नही जारी किया तो याचिकर्ता द्वारा अवमानना याचिका सं0 09/एन0बी/2022 दिनांक 12.06202 को दायर की। उक्त याचिका की सुनवाई दिनांक 05.07.2022 को सुनवाई के दौरान याचीकर्ता को प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.6.2022 प्राप्त हुआ। उक्त तथ्य सुनवाई के दौरान माननीय अधिकरण के संज्ञान में लाया गया जिस आधार पर अवमानना याचिका निस्तारित की गयी व साथ में यह कहा गया कि यदि याचिकार्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश को चुनौती देना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। आदेश की प्रति (अनुलग्नक–19) है।

10. आदेश दिनांक 08.06.2022 में सातवे वेतन आयोग की संस्तुति अनुसार देने के संदर्भ में दावा याचिका संख्या 29/एन0बी0/डी0बी/2020 के घटनाक्रम का उल्लेख करने के बाद यह बताया गया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एन0पी0ए के संबंध में जारी शासनादेश होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 3 ने वित्त विभाग को संदर्भित किया गया था। वित्त विभाग द्वारा तत्समय प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करते हुये पत्रावली वापस की गयी थी। तदोपरान्त प्रकरण मा0 मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। जिस पर मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को प्रैक्टिस बंदी भत्ता वित्त विभाग की सहमति से शासनादेश सं0 623 दिनांक 29.09.2020 के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन के प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस बंदी भत्ता शासनादेश जारी होने की तिथि से अनुमन्य किया गया आदेश दिनांक 08.06.2022 की प्रति अनुलग्नक–1 है। याचिकर्ता द्वारा मांगे गये दिनांक 01.02.2019 से 28.09.2020 तक के एरियर्स (माह अप्रैल, 2019 व माह मई, 2019 को छोडकर) को सिर्फ इस आधार पर मना किया गया कि शासनादेश

दिनांक 16.12.2010 में व्यवथा है कि ऐसे मामले में जहां संवर्ग/पुनर्गठन/सेवा शर्तो में संशोधन सहित उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया जाना है। वहां उच्चीकृत वेतनमान का लाभ शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिये जाने की समान व्यवस्था है। भत्तो के संबंध में किसी विभाग/सवर्ग से पैरेटी का सिद्धान्त लागू नहीं है। समान्यतः भत्ते तत्काल प्रभाव से दिये जाते है। वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्थानुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत कार्यरत चिकित्साधिकारियों को दिनांक 01.02.2019 से 29.09.2020 की अवधि के प्रैक्टिस बंदी भत्ता के एरियर्स का भुगतान नियमानुसार अनुमन्य नही किया जा सकता। तदनुसार प्रत्यावेदन दिनांक 17.12.2021 को निस्तारित किया गया। उक्त आदेश निराधार व अतार्किक है व निम्न कारण से रद्द होने योग्य है।

11. भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 (डी) समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान बनाने का निर्देश देता है। समान काम के लिए समान वेतन से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 ,16 ,39 (डी) के तहत् तर्कहीन वर्गीकरण बन जाता है। मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 (1) एस0सी0सी0 618 में आदेश पारित किया ''माननीय उच्च न्यायालय ने पी0 परमेश्वन और अन्य बनाम सचिव, भारत सरकार 1987 एस0सी0सी0 18 में समान प्रकृति के विवाद का फैसला किया गया। उक्त मामले में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को 01.01.1073 से लागू किया गया था,परन्तु याचिकर्ता के मामले में कुछ प्रशासनिक कारणो के कारण 01.10.1973 से संशोधित ग्रेड और वेतनमान को लागू करने का निर्देश दिया गया। (प्रति अनुलग्नक 23) है। मिजोरम राज्य बनाम मिजोरम इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन (2004) 6 एस0सी0सी 21 मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.05.2004 को सुनाते समय यह कहा कि राज्य इंजीनियर्स को इस आधार पर वेतन पुनः निर्धारण का लाभ न दिया जाना गलत है कि संगठित सेवा से नही आते है। इसके अलावा वित्तीय विविक्षा (मजबूरी) भी राज्य द्वारा की गयी अपील में हस्तक्षेप का आधार नही हो सकती। अनुलग्नक 24 स्पष्ट रूप से चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टरों और ई0एस0आई0एस के डॉक्टरों के कार्य समान प्रकृति के हैं और इसलिए ई0एस0आई0एस के डॉक्टरो को प्रैक्टिस बंदी भत्ते से इनकार करने का कोई आधार नही है। और इसलिए उनके बीच बिना किसी उचित वर्गीकरण के पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।

12. विपक्षी/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की ओर से याचीकर्ता के कथनों का पृथक–पृथक प्रतिशपथ पत्र /प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में खण्डन किया है कि याचिका में याची द्वारा लिखे गये समस्त प्रस्तर अस्वीकार हैं एवं केवल वहीं प्रस्तर जो अभिलेखों पर आधारित है स्वीकार हैं।

13. याचिका में याची द्वारा लिखे गये समस्त प्रस्तर अस्वीकार है व केवल वहीं प्रस्तर जो अभिलेखों पर आधारित है स्वीकार हैं। राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के समस्त चिकित्सकों को नान प्रैक्टिस एलाउन्स (Non Practice Allowanc) (जिसको आगे के प्रस्तरों में एन0पी0ए कहा जायेगा) की अनुमन्यता पूर्व की भांति सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों शासनादेश संख्या 299 दिनांक 30.12.2016 द्वारा दिनांक 01.01.2016 से समस्त राजकीय कार्मिकों को लागू किये जाने के उपरान्त विभिन्न भत्तों की अनुमन्यता संबंधी विभिन्न आदेश माह जनवरी 2019 में निर्गत किये गये। जिसमें एन0पी0ए0 से संबंधी आदेश संख्या–28 दिनांक 23.01.2019 द्वारा एन0पी0ए0 को दिनांक 01.02.2019 से मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया। तदोपरान्त राज्य कर्मचारी बीमा औषाधालय के चिकित्सा अधिकारियों को एन0पी0ए0 की अनुमन्यता निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून के पत्र सं0 206 दिनांक 13.02.2020 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा0 मत्रिमण्डल के द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या 623 दिनांक 29.09.2020 के जारी होने की तिथि से मूल वेतन का 20 प्रतिशत की दर से प्रदान की गयी।

14. उक्त याचिका में याची द्वारा राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से दिनांक 01.02.2019 से एन0पी0ए0 की अनुमन्यता की भांति दिनांक 01.02.2019 से एन0पी0ए0 की अनुमन्यता हेतु मा0 लोक सेवा अधिकरण खण्डपीठ नैनीताल से याचिका सं0 29/एन/डीबी/2020 योजित करते हुए अनुरोध किया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारिण निर्णय दिनांक 12.11.2021 के अनुपालन में विभाग द्वारा शासनादेश सं0 114/143/2022 दिनांक 03.06.2022 द्वारा याची के प्रत्यावेदन दिनांक 07.12.2021 का निस्तारण करते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ''डा0 ललित कुमार सिंह का लागू एन0पी0ए0 के विगत तिथि से एरियर का भुगतान का प्रश्न है, इस संबंध में वित विभाग के शासनादेश संख्या 395, दिनांक 16.12.2010 में व्यवस्था है कि ऐसे मामले में जहां संवर्ग/पुनर्गठन/सेवाशर्तों में संशोधन सहित उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया जाना है, वहां उच्चीकृत वेतनमान का लाभ शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिये जाने की सामान्य व्यवस्था है। भत्तों के संबंध किसी विभाग/सवर्ग से पैरिटी का सिद्धांत लागू नहीं है। सामान्यतः भत्ते तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किये जाते हैं वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्थानुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत कार्यरत चिकित्साधिकारियों को दिनांक 01.02.2019 से दिनांक 29.09.2020 की अवधि की प्रैक्टिस बंदी (N.P.A) के एरियर का भुगतान नियमानुसार अनुमन्य नहीं किया जा सकता। है।''

15. याची का कथन वास्तविक तथ्यों से विपरीत होने के कारण अस्वीकार है। इस संबंध में अवगत कराना है कि सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–26 दिनांक 23 जनवरी, 2019 द्वारा चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत क्लीनिकल कार्यो में कार्यरत

नियमित ऐलोपैथिक चिकित्सकों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (N.P.A) दिनांक 01 फरवरी, 2019 से अनुमन्य किया गया। इसी प्रकार शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 23 जनवरी, 2019 द्वारा क्लीनिकल कार्यो में कार्यरत नियमित आयुष चिकित्सकों उक्त भत्ता दिनांक 1 फरवरी, 2019 से अनुमन्य किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत कार्यरत चिकित्साधिकारियों को शासनादेश संख्या 623 दिनांक 29.09.2020 के द्वारा प्रैक्टिस बंदी भत्ता (N.P.A) के शासनादेश जारी होने की तिथि से अनुमन्य किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण में कार्मिक को पूर्वगामी तिथि (Retrospectively) से प्रैक्टिस बंदी भत्ता (N.P.A) अनुमन्य कर एरियर्स दिये जाने की शासनादेशों/नियमों में कोई व्यवस्था विधमान नहीं है। उच्चीकृत वेतनमान का लाभ शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिये जाने की समान्य व्यवस्था है। उदाहरणार्थ निम्न शासनादेशों की प्रतियां संलग्नक के रूप में संलग्न है शासनादेश संख्या 115/xxvii (7)27(3)/2013, दिनांक 10.08.2015 के द्वारा राजकीय वाहन चालक सवंर्ग के सीधी भर्ती के पद पर ग्रेड वेतन 1900 को ग्रेड वेतन 2000 में उच्चीकृत तत्काल प्रभाव से किया गया है। इसी प्रकार शासनादेश सं0 965XLI-1/15-25(प्रशि0) दिनांक 23.12.2015 द्वारा राजकीय ओधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सृजित अनुदेशक पदो के वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को ग्रेड वेतन 4600 में उच्चीकृत तत्काल प्रभाव से किया गया है। इसी प्रकार शासनादेश सं0–07/XLI-1/2010-190/15 दिनांक 30.01.2016 के द्वारा राजकीय पालीटैक्निक संस्थानों में सृजित कर्मशाला अनुदेशक के पदों के वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को ग्रेड वेतन 4600 में उच्चीकृत तत्काल प्रभाव से किया गया है। इसी प्रकार शासनादेश संख्या 325/XXVII (7)50(16)2014T.C दिनांक 12.12.2017 के द्वारा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों के वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 को ग्रेड वेतन 4800 में उच्चीकृत तत्काल प्रभाव से किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि शासन की समान्य तिथि के अन्तर्गत ही शासनादेशों से अनुमन्य लाभ तत्काल प्रभाव से ही स्वीकृत किये गये जाते है। इसके अतिरिक्त यह कहना है कि याची द्वारा उपरोक्त प्रस्तर में किये गये कथन विधि एवं तथ्यों के विपरीत हैं एवं अपीलीय उपचार उपलब्ध होने के कारण याची की याचिका किसी भी प्रकार से सुनचाई हेतु अंगीकृत किये जाने योग्य नहीं है तथा अपनी याचिका सहित याचिका में किये गये कथनों के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। और याची की याचिका सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

16. याचीकर्ता की ओर से विपक्षी/प्रतिवादीगण के प्रतिउत्तर के खण्डन में प्रतिशपथ दाखिल करते हुए संक्षेप खण्डन किया गया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 08.06.2022 एवं आदेश दिनांक 16.12.2010 अविधिक व अविधिमान्य है व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का सीधा उल्लंघन है जो कि किसी भी प्राकर के बेगार व बलातश्रम को प्रतिषिद्ध करता है। सरकार के दूसरे विभागों के डाक्टरों को प्रैक्टिस बंदी भत्ता देना व श्रम चिकित्सा सेवाओं के

डाक्टरों न देना इसी श्रेणी में आता है व इसलिए संविधान का संरक्षक होने के नाते इस माननीय अधिकरण का मामले में हस्तक्षेप अनिवार्य है। काउंटर एफीडेविड में दो पैरा 5 बना दिये गये है इस सन्दर्भ में प्रथम पैरा विधिक होने के कारण किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है, व दूसरे पैरा के संदर्भ में उत्तरदाता प्रतिवादी ने अपने से संबंधित न होने के कारण कोई टिप्पणी नही की है। काउंडर एफीडेविट के पैरा 6 की अर्न्तवस्तु को उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा विवादित न किये जाने के कारण किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है। काउंडर एफीडेविड के पैरा 7 के संदर्भ में याचिकर्ता का कहना है कि इसमें दावा याचिका के पैरा 4.3 से 4.16 कुल 13 का उत्तर देते समय सभी तथ्यों को स्वीकार किया गया है, अतः याचिकर्ता के स्तर से कोई टिप्पणी अपेक्षित नही है। काउंटर एफीडेविट के पैरा 8 के अंर्तवस्तु का खण्डन किया गया जाता है और इसके जबाव में यह निवेदित है कि उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा नियमों की गलत व्याख्या करके मनमानापूर्ण मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है उत्तरदाता प्रतिवादी का मूलतः यह कहना है कि जब कभी किसी वेतन को बढ़ाया जाता है तो वह उसी दिन से प्रभावी होगा जिस दिन से उसे बढ़ाया गया है। इस संदर्भ में याचिकर्ता निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करना चाहता है–

क) प्रैक्टिस बंदी भत्ता कोई नया नियम नही है व यह पूर्व के वेतन आयोग की सिफारिशो व शासनादेशो में नियमित रूप से दिया जा रहा था, जिसमें श्रम चिकित्सा सेवाओं के डाक्टर भी शामिल थे।

ख) सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार ने भी उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 का प्रतिपादन किया व सभी राज्य कर्मियो को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ 01.01.2016 से दिया गया। उक्त नियमों के नियम 7(1)(ख)(ii) में यह निर्णय लिया गया कि प्रैक्टिसबंदी भत्ते की संशोधित दरो के संबंध में आगे विनिश्चय किए जाने तक निर्धारित किये गये वेतन में विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता जोड़ा जाएगा।

ग) इस संबंध में सरकार द्वारा निर्णय 23.01.2019 के शासनादेश से लिया गया व तदनुसार शासनादेश प्राप्त होने पर विभाग द्वारा याचिककर्ता को अप्रैल, 2019 व मई, 2019 में इस शासनादेश का लाभ देते हुए निर्धारित दर से भुगतान दिया, जो कि विधिसम्मत भी था, परन्तु आगे के प्रैक्टिस बंदी भत्ते को इस आधार पर रोक दिया गया कि यह शासनादेश सिर्फ चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के संदर्भ में है।

घ) मामले को श्रम विभाग द्वारा शासन स्तर पर ले जाने पर श्रम चिकित्सा विभाग के डाक्टरो को यह शासनादेश दिनांक 29.09.2020 के तहत शासनादेश जारी करने की दिनांक से दिया गया व इस प्रकार राज्य सरकार के दो विभागो के डाक्टरो के बीच पक्षपात किया गया जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का साफ तौर पर उल्लंघन है। यदि कोई विभाग किसी मामले को देर से उठाता है व इस प्रशासनिक देरी के लिए याचिकर्ता जैसे कर्मियों को नुकसान में नही रखा जा सकता।

ड) यहां यह उल्लेख करना प्रांसगिक होगा कि उत्तरदाता प्रतिवादी जिन वेतन नियमों के सिद्धांतो पर भरोसा करके यह कह रहे है कि वह शासनादेशो की जारी होने की तिथि से होगा तो यहां भी याचिकर्ता दिनांक 23.01.2019 के शासनादेश के प्रकाश में इसे 01.02.2019 से दावा कर रहा है न कि 01.01.2016 से। परन्तु प्रतिवादी एक ही राज्य सरकार के

दो विभागो के डाक्टरों को बीच बिना कोई यथोचित वर्गीकरण के पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे है।

च) यदि प्रशासनिक विभाग फाइलो को दबा कर रखते है/निर्णय लेने में समय लगाते है तो इससे लाभार्थी को मिलने वाले लाभ से वंचित नही किया जा सकता जिसके वे अधिकारी है।

17. याचिकर्ता चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डाक्टरों की तरह ही दिनांक 01.02.2019 से प्रैक्टिस बंदी भत्ते हेतु अर्हता रखता है व सरकार के दो विभागों के बीच इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया नही अपनाया जा सकता विशेषकर तब जब दोनो समान प्रकृति के कर्तव्य का निष्पादन कर रोगीयों के उपचार में लगे हुए है। उत्तरदाता प्रतिवादी ने शासनादेशो दिनांक 10.08.2015,23.10.2015, 31.01.2016, 31.10.2017 व 12.12.2017 का जिक्र किया है जिन सभी में संबंधित वेतन आयोग के परिपेक्ष्य में वेतन का अपग्रेड किया गया है व वेतन आयोग की सिफारिशो की संबंधित दिनांक यथा 01.01.2006/01.01.2016 से न देते हुए उक्त संबंधित तिथियों से दिया है। उक्त सभी प्रकरणों में वेतन अपग्रेड हुआ है, परन्तु याचिकर्ता के प्रकरण में प्रैक्टिसबंदी भत्ता पहले से चला आ रहा था सांतवे वेतन आयोग की सिफारिशो के आधार पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के तहत यह निर्णय लिया गया कि प्रैक्टिसबंदी भत्ते की संशोधित दरो के संबंध में आगे विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता जोडा जाएगा। उक्त विनिश्चय दिनांक 23.01.2019 को किया गया व तदनुसार इस लाभ के श्रम चिकित्सा सेवाओं के डाक्टरो भी अधिकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम दिनेशन के0के (2008) के एस0सी0सी0 586 पैरा 13 में सेक्रेट्ररी, फाईनेन्स डिपार्टमेंन्ट व अन्य बनाम वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सर्विस एसोसिएशन बनाम अन्य व हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा वाद के निर्णय से विभेद करते हुए निम्नवत कहा है–

> *"It has been emphasized that a carefully evolved pay structure ought not to be ordinarily disturbed by the Court as it may upset the balance and cause avoidable ripples in other cadres as well. (Vide: Secretary, Finance Department & Ors. Vs. West Bengal Registration Service Association & Ors. and State of Haryana & Anr. Vs. Haryana Civil Secretariat Personal Staff Association. Nevertheless, it will not be correct to lay down as an absolute rule that merely because determination and granting of pay scales is the prerogative of the Executive, the Court has no jurisdiction to examine any pay structure and an aggrieved employee has no remedy if he is unjustly treated by arbitrary State action or inaction, except to go on knocking at the doors of the Executive or the Legislature, as is sought to be canvassed on behalf of the appellants. Undoubtedly, when there is no dispute with regard to the qualifications, duties and responsibilities of the persons holding identical posts or ranks but they are treated differently merely because they belong to different departments or the basis for classification of posts is ex-facie irrational, arbitrary or unjust, it is open to the Court to intervene."*

इस वाद में निर्णय देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 20 में निम्नवत कहा –

> *"Thus, the short question requiring our consideration is whether having admitted in their affidavit referred to hereinabove, the apparent disparity and*

anomaly in the pay scales of Radio Mechanics, the administrative authorities, the petitioners herein, could be permitted to perpetuate apparent discriminatory differentiation in the pay scales because of the disparity in pre-revised and revised scales of the personnel of Assam Rifles prior to the recommendations of the Fourth Pay Commission, irrespective of the identity of their powers, duties and responsibilities with other paramilitary forces. In our considered opinion, in view of the total absence of any plea on the part of the Union of India that Radio Mechanics in other paramilitary forces were performing different or more onerous duties as compared to the Radio Mechanics in Assam Rifles, the impugned decision of the Government was clearly irrational and arbitrary and thus, violative of Article 14 of the Constitution."

18. याचिकर्ता के प्रति प्रतिवादी द्वारा निश्चित रूप से भेदभाव व पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। शासनादेश दिनांक 23.01.2019 से जो लाभ चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के डाक्टरो को दिया गया व लाभ याचिकर्ता को न देते हुए दिनांक 29.09.2020 से दिया गया इस प्रकार दिनांक 01.02.2019 से 29.09.2020 (लगभग 20 माह के प्रैक्टिस बंदी भत्ते) का नुकसान प्रार्थी को किया गया है व राज्य सरकार के दो विभागो के डाक्टरो के बीच में इस प्रकार का भेदभाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 व 39 (डी) का स्पष्ट उल्लंघन है। काउन्टर एफीडेविट के पैरा 18 की अंर्तवस्तु का खण्डन किया जता है और इसके जवाब में याचिकर्ता का कहना है कि पूर्व में दिये गये निर्णय में जो सिद्धान्त है वर्तमान के में भी लागू होते हैं व दो विभाग के समान पद के कर्मीयो में भेदभाव नही किया जा सकता व जो कि एक कल्याणकरी राज्य से अपेक्षित नही है। उत्तरदाता प्रतिवादी एक ही सरकार के दो विभागो के डाक्टरो के मध्य जिनका कार्य समान प्रकृति का है में उचित वर्गीकरण के बिना भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे है जो पूर्णताया अनुचित है।

19. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य ऐसी कोई विधि नही बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारो को छीनती हो या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गये प्रत्येक ''विधि'' के अर्न्तस्तु भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम विनियम अधिसूचना रूढि या प्रथा है। तदनुसार राज्य सरकार के जो आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते है वे उस सीमा तक शून्य है। वर्तमान मामले में चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के डाक्टरो से श्रम चिकित्सा सेवाओ के डाक्टरो को कम अवधि की प्रैक्टिसबंदी भत्ता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है साथ ही यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 व 21 का भी उल्लंघन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 सभी प्रकार की बेगार व बलातश्रम प्रतिषिद्ध करता है और इस हेतु दण्ड का भी प्रावधान करता है। इसी तरह अनुच्छेद 39 (घ) कल्याणकारी राज्य होने के कारण समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश देता है।

20. प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी प्रैक्टिसबंदी भत्ता न दिये जाने हेतु दावा याचिका सं0 29/एन0बी/एस0बी/2020 दायर की थी जिसके लम्बित रहने के दौरान प्रतिवादियो द्वारा

प्रैक्टिसबंदी भत्ता दिनांक 29.09.2020 से स्वीकृत कर दिया था। मा0 अधिकरण द्वारा तदनुसार प्रार्थी को एक प्रत्यावेदन देने का निर्देश दिया था, जिसे प्रतिवादियो द्वारा 3 माह के अन्दर निस्तारित करने का निर्देश दिया था परन्तु प्रतिवादी सं0 1 द्वारा उक्त प्रत्यावेदन आदेश दिनांक 08.06.2022 के तहत भेदभावपूर्ण व मनमाने तरीके से विधि की गलत व्याख्या करते हुए निस्तारित किया। वर्तमान याचिका में उक्त आदेश दिनांक 08.06.2022 व शासनादेश 16.12.2010 को चुनौती देते हुए राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के डाक्टरो के समान याचिकर्ता को दिनांक 01.02.2019 से 28.09.2020 तक के प्रैक्टिसबंदी भत्ते का ऐरियर्स देने का निर्देश हेतु प्रार्थना की है। अतः इस हेतु पर्याप्त वाद हेतुक है।

21. वर्तमान मामले में प्रतिवादियों ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। प्रतिवादियो का कृत्य निश्चित रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,16,21,व 23 में दिये गये याचिकार्ता के मूल अधिकारो का हनन करता है, इसलिए प्रार्थी पूर्ण अनुतोष का अधिकारी है।

22. मैंने याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण की ओर से विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया।

23 याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि याचीकर्ता डा0 ललित कुमार सिंह, श्रम विभाग उत्तराखण्ड राज्य के कर्मचारी राज्य बीमा योजना विभाग में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत हैं उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व ही सरकारी चिकित्सक (एलोपैथिक) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा योजना विभाग के चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में लागू) के अतिरिक्त प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होना प्राविधानित था और जिसके बावत नियमानुसार प्रैक्टिस बंदी भत्ता देय होना अनुमन्य था। याचिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि सातवां वेतन आयोग दिनांक 01.01.2016 से लागू हुआ और जिसके संदर्भ में दिनांक 01.02.2019 से एलोपैथिक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग के डाक्टरों के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया था याचिकर्ता के विभाग से संबंधित चिकित्सकों को देय प्रैक्टिस बंदी भत्ता के बावत आदेश पारित नहीं किया गया और समान पद एवं समान कार्य के बावत दो विभागों के चिकित्साधिकारियों के मध्य भेदभावपूर्ण आदेश पारित किये गये। याचिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि याचीकर्ता द्वारा पूर्व में याचिका सं0 29/एन0बी0/एस0बी/ लोक सेवा अधिकरण, नैनीताल पीठ में दायर की, जहां से याचिकर्ता को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने एवं उत्तरदातागण को याचिकर्ता का प्रत्यावेदन तीन माह में निस्तारित करने हेतु दिनांक 12.11.2021 को आदेश पारित किया गया जिसके अनुपालन में दिनांक 07.12.2021 को याचिकर्ता द्वारा प्रत्यावदेन प्रतिवादी को प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 08.06.

2022 को शासनादेश दिनांक 16.12.2010 के आधार पर यह कहते हुए निस्तारित किया गया कि ऐसे मामलों में जहां संवर्ग/पुर्नगठन/सेवा शर्तों में संशोधन सहित उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया जाना है वहां उच्चीकृत वेतनमान का लाभ शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिये जाने की सामान्य व्यवस्था है। जबकि उक्त आदेश याचिकर्ता के संदर्भ में लागू नहीं हो सकता क्योंकि उक्त शासनादेश में वेतन एवं भत्तों को दो कारण **संवर्ग/पुर्नगठन व सेवा शर्तों** में परिर्वतन के कारण ही जारी तिथि से देने का प्रावधान है। याचिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को प्रैंक्टिस बंदी भत्ता वित्त विभाग की सहमति से शासनादेश दिनांक 29.09.2020 से जारी किया गया है जबकि शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 के विपरीत कारागार विभाग में कार्यरत डाक्टरों के निजी प्रैक्टिस बंदी भत्ते के बाबत आदेश दिनांक 31.05.2021 को पारित किया गया परन्तु उन्हें इसका लाभ दिनांक 01.02.2019 पूववर्ती तिथि से दिया गया। जबकि राज्य दो विभाग के डाक्टरों के बीच ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। अतः याचिकर्ता को राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग के डाक्टरों के समान दिनांक 01. 02.2019 से दिनांक 28.09.2020 तक (माह अप्रैल, 2019 व मई 2019 को छोड़कर जो दिया जा चुका है) के प्रैक्टिस बंदी भत्ता एरियर देने हेतु प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पूर्व में प्रैक्टिस बंदी भत्ता हेतु पारित आदेश दिनांक 08.06.2022 को अपास्त किया जाये।

24. जबकि सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने याचिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कहा कि शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 की व्यवस्था के आधार पर याचिकर्ता आदि को आदेश पारित करने के तिथि से प्रैक्टिस बंदी भत्ता दिया गया है जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नही है ।अतः याचिकर्ता की याचिका निरस्त की जावे।

25. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राज्य के सरकारी चिकित्साधिकारियों को उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व उ0प्र0 राज्य के समय से ही निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध नियमावली, 1978 व नियमावली 1983 लागू की गयी थी, जिसमें सरकारी चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाया गया तथा नियम 4 के तहत निजी प्रैक्टिस के बदले भुगतान का प्रावधान किया गया { जिससे आमतौर पर प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) कहा जाता है} उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद भी राजकीय चिकित्सकों को देय प्रैक्टिस बंदी भत्ता के बावत समय–समय पर आदेश पारित किये गये और इसी संदर्भ में सातवें वेतन आयोग की वेतन संस्तुतियों के बाद उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डाक्टरों को एनपीए (प्रैक्टिस बंदी भत्ता) के संबंध में दिनांक 01.02.2019 को आदेश पारित किये गये लेकिन याचिकर्ता के विभाग ई0एस0आई0एस0 के चिकित्सकों को देय प्रैक्टिस बंदी भत्ता के बावत कोई आदेश पारित नहीं किया गया तथा याचिकर्ता व अन्य

संबंधित चिकित्सकों द्वारा जब दिनांक 13.02.2020 को पत्र द्वारा प्रस्ताव प्रतिवादीगण को दिया गया, के संदर्भ में शासनादेश सं0 623/VIII-1/20-500 (क0रा0बी0यो0)/2003 दिनांक 29.09.2020 को आदेश निर्गत करने की तिथि से अनुमन्य किया गया, जबकि राज्य के अन्य विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में कार्यरत चिकित्सकों को उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप–दिनांकित 23 जनवरी, 2019 से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता उक्त आदेश की निर्गत तिथि से पूर्व दिनांक 01.02.2019 से अुमन्य किया गया, जिसके कारण याचीकर्ता द्वारा याचिका सं0 29 /एन.बी./डी.बी. मा0 लोक सेवा अधिकरण, नैनीताल में दायर की गयी। माननीय लोक सेवा अधिकरण द्वारा पुनः याचिकर्ता को प्रतिवादी के समक्ष प्रत्यावदेन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 07.12.2021 को याचीकर्ता द्वारा प्रतिवादी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 के शासनादेश के आधार पर यह कहते हुए दिनांक 08.06.2022 को निस्तारित किया गया कि उक्त शासनादेश में व्यवस्था है कि ऐसे मामले में जहां संवर्ग/पुर्नगठन/सेवा शर्तों में संशोधन सहित उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया जाना है, वहां उच्चीकृत वेतनमान का लाभ शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिये जाने की सामान्य व्यवस्था है और जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत कार्यरत चिकित्साधिकारियों को दिनांक 01.02.2019 से दिनांक 29.09.2020 की अवधि के प्रैक्टिस बंदी भत्ता के एरियर का भुगतान नियमानुसार अनुमन्य नहीं किये जाने का आदेश पारित किया और शासनादेश सं0 623 दिनांक 29.09.2020 के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को पुनरीक्षित संरचना में उनके मूल वेतन के प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस बंदी भत्ता शासनादेश जारी होने की उक्त तिथि से अनुमन्य किया गया, जबकि राज्य गृह विभाग के अन्तर्गत कारागार विभाग में कार्यरत डाक्टरों को देय प्रैक्टिस बंदी भत्ता हेतु आदेश दिनांक 31.05.2021 को पारित किया गया परन्तु उन्हें प्रैक्टिस बंदी भत्ते का लाभ राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्साधिकारियों के सामान दिनांक 01.02.2019 (पूववर्ती तिथि) से दिया गया जैसा कि याचिका के साथ सलग्न अनुलग्नक 20 के अवलोकन से भी स्पष्ट है, जिससे निसंदेहः दो विभागों के नियममित सरकारी डाक्टरों के बीच समान कार्य समान वेतन के सिद्धान्त के संबंध में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लंघन है तथा जहां तक शासनादेश दिनांक 16.12.2010 में दी गयी व्यवस्था का प्रश्न है वह उन मामलों में लागू होगा जहां संवर्ग/पुर्नगठन/सेवा शर्तों में संशोधन सहित उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया जाना है और जैसाकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रणधीर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य (1982) I Supreme Court Cases 618 में भी समान कार्य के लिए समान वेतन दिये जाने की व्यवस्था देते हुए सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ‘‘Constitution of India-Articles 39 (d),14,16,& 32 and preamble ‘Equal pay for equal work’-Principle of- Non observation of, if and when amounts to violation of Articles 14 and 16 and amenable to writ remedy under Article 32-Lower scale of pay to

drivers in Delhi Police force then those in Delhi Administration Central Government, held, constitutes unreasonable classification and not in consonances with the principle of '**equal pay for equal work'** and is therefore violative of Articles 14 and 16- Labour and services-pay.''

26. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक अन्य **मामला मिजोरम राज्य एवं अन्य बनाम मिजोरम इंजीनियरिंग सर्विस एसोसियेशन (2004) 6 Supreme Court Cases 218** में भी समान कार्य के लिए समान वेतन के बावत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में निःसंदेह उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग एवं कारागार विभाग के नियमित सरकारी चिकित्सकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत श्रम विभाग में कार्यरत याचिकर्ता को दिनांक 01.02.2019 से दिनांक 28.09.2020 (अप्रैल, 2019 व मई 2019 को छोड़ कर जो पूर्व एरियर दिया जा चुका है) को राज्य के अन्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व कारागार के चिकित्सकों से भिन्न प्रैक्टिस बंदी भत्ता भुगतान बाबत पारित आदेश दिनांकित 29.09.2020 संलग्नक–15 एवं दिनांकित 08.06.2022 संलग्न 1 पुरी तरह विधि विरूद्ध हैं तथा जो भारतीय संविधान के अनुच्छद 14 व 16 का उल्लंघन करता है। ऐसी स्थिति में याचीकर्ता को देय निजी प्रैक्टिस बंदी भत्ते के बावत पारित आदेश दिनांकित 29.09.2020 एवं दिनांकित 08.06.2022 केवल याचीकर्ता को देय प्रैक्टिस बंदी भत्ता एरियर के हित लाभ तक अपास्त किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 1 को निर्देशित किया जाता है कि राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा कारागार चिकित्सकों के समान याचीकर्ता को देय निजी प्रैक्टिस बंदी भत्ता दिनांक 01.02.2019 से दिनांक 28.09.2020 (अप्रैल व मई, 2019 को छोड़कर जो पूर्व में याचिकर्ता को दिया जा चुका है) के बाबत न्यायोचित आदेश पारित कर उक्त अवधि का एरियर, आदेश प्राप्ति के अन्दर 30 दिन में भुगतान करना सुनिश्चित करें।

27. मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगे।

दिनांकः 21.04.2023 (राजेन्द्र सिंह)
देहरादून। उपाध्यक्ष (न्यायिक)